-:प्रेस नोट दिनांक 24.09.2023:-

थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली ।

थाना फतेहगंज पूर्वी #bareillypolice द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर कराई अपने पति की हत्या का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं सिम के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा हत्या जैसे गम्भीर/संज्ञेय अपराध कारित करने वाले वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी फरीदपुर के पर्यवेक्षण में थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24.09.2023 को देखरेख क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्तगण सम्बन्धित मु0अ0सं0 213/23 धारा 302/120बी/34 भादवि के अभियुक्तगण को टिसुआ चौराहे के पास निकसुआ के रास्ते पर दो अभियुक्तगण 1.मानवेन्द्र पुत्र रनवीर सिहं उम्र 22 वर्ष 2.सौरभ उर्फ छोटे पुत्र मुनीश उम्र 23 वर्ष नि0गण ग्रा0 निकसुआ थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली को मय घटना में प्रयुक्त मोबाइल व सिम के साथ व अभियुक्ता आरती वर्मा पत्नी स्व0 रामवीर निवासी ग्राम शिवपुरी उम्र 22 वर्ष थाना फतेहगजं पूर्वी बरेली को उसकी ससुराल ग्रा0 शिवपुरी से गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

अशोक कुमार पुत्र शिवराज सिहं नि0ग्रा0 शिवपुरी थाना फतेहगजं पूर्वी, बरेली द्वारा दिनांक 21.09.23 थाना फतेहगंज पूर्वी पर अपने भाई रामवीर की गुमशुदगी अंकित करायी गयी। जिसकी जांच गहनता से करने पर जानकारी हुयी एक शव निकसुआ रेलवे फाटक के पास देखी गई जिसका पोस्टमार्टम जीआरपी जंक्शन बरेली द्वारा भरा गया शव की शिनाख्त उसके पिता शिवराज सिंह द्वारा की गयी। जिसके सम्बन्ध में उसके पिता शिवराज द्वारा एक किता तहरीर देकर थाना फतेहगंज पर गुमशुदगी उपरोक्त को तरमीम करके मु0अ0सं0 213/23 धारा 302/120बी भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज पूर्वी द्वारा संपादित की गयी। सर्विलांस सैल, बरेली की मदद से नामजद अभियुक्तगण **1.मानवेन्द्र पुत्र रनवीर सिहं 2.सौरभ उर्फ छोटे पुत्र मुनीश निवासीगण ग्रा0 निकसुआ 3.आरती वर्मा पत्नी स्व रामवीर निवासी ग्राम शिवपुरी थाना फतेहगजं पूर्वी बरेली** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मानवेन्द्र के मृतक रामवीर की पत्नी आरती से कक्षा 09 से प्रेम-प्रसंग था। जिसके चलते दोनो के बीच सम्बन्ध एवं लगातार फोन काल पर बातचीत की गयी। इसकी जानकारी आरती के पति रामवीर को भी थी इस बात को लेकर दोनों में झगडा होता रहता था। आरती अपने पति के साथ न रहकर अपने प्रेमी मानवेन्द्र के साथ रहना चाहती थी। आरती द्वारा ही आपराधिक **षड्यंत्र** रचकर एक सिम तिलहर से खरीदकर अपने प्रेमी मानवेन्द्र को दिया गया तथा मानवेन्द्र अपने दोस्त अभियुक्त सौरभ के साथ मिलकर रामवीर की हत्या का प्लान बनाया तथा उसी सिम से रामवीर को दावत व एनजाँए के बहाने टिसुआ बुलाया वहां पर दारू पिलायी गयी उसके बाद रेलवे स्टेशन टिसुआ के पास गल्थुआ फाटक पर ले जाकर वहां पर बैठकर दोबारा रामवीर को दारू पिलायी जिससे वह बेहोश हो गया तथा मानवेन्द्र व सौरभ दोनों ने मिलकर रामवीर को उठाकर रेलवे लाइन पर डाल दिया जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मृत्यु हो गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.मानवेन्द्र पुत्र रनवीर सिहं उम्र 22 वर्ष नि0 ग्रा0 निकसुआ थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

2.सौरभ उर्फ छोटे पुत्र मुनीश उम्र 23 वर्ष नि0 ग्रा0 निकसुआ फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली ।

3.आरती वर्मा पत्नी स्व0 रामवीर निवासी ग्राम शिवपुरी थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

<u>अपराधिक इतिहासः-</u>

1. **मु0अ0सं0 213/23 धारा 302//34 भादवि थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली (अभियुक्त मानवेन्द्र व सौरभ उर्फ छोटे पर)**
2. **मु0अ0सं0 213/23 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली (अभियुक्ता आरती वर्मा उपरोक्त)**
3. **अभियुक्त सौरभ जिला हापुड में गौकशी के मुकदमें में भी गिरफ्तार किया जा चुका है जिसकी जानकारी की जायेगी।**

<u>घटनास्थलः-</u> टिसुआ स्टेशन गल्थुआ फाटक के पास

<u>बरामदगी का विवरण:-</u> एक अदद मोबाइल कम्पनी वीवो जिनका IMEI NO 862268069195535, IMEI 2 862268069195527 है व एक घटना में प्रयुक्त सिम कम्पनी एयरटेल मो0नं0 ।

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री ओमप्रकाश गौतम थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली।

2.उ0नि0 श्री इशरत अली खाँ थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

3.का0 1939 गौरव यादव थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

4.म0का0 935 पूजा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

5.का0 2143 शिवान्शु पाण्डेय थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।